5 Rs. COURT भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 Rs. COURT भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

276

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर कैंप सागर

R. 1208.III/05

गौरीबाई पुत्री भैरमदीन पटैल
निवासी – ग्राम किशनपुर मझरा जरारो पुरवा, तह. अजयगढ़ जिला पन्ना ....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन ....प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता

निगरानीकर्ता निम्नलिखित प्रार्थना करती है :

निगरानीकर्ता अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 62 /अ–19 / 2001–02 में पारित आदेश दिनांक 24.1.2005 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत करता है।

संक्षिप्त तथ्य : प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि तहसीलदार अजयगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 17 / अ–19 / 94–95 में पारित आदेश दिनांक 10.3.95 द्वारा ग्राम किशनपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 312 रकबा 0.52 हेक्टेयर एवं खसरा नं. 330 रकबा 1.47 हेक्टेयर का व्यवस्थापन म.प्र. कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत निगरानीकर्ता के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया। कलेक्टर पन्ना द्वारा संहिता की धारा 50 के अंतर्गत प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया गया। जिसका प्रकरण क्रमांक 21 / अ –19 (ब) वर्ष 2000–01 है। कलेक्टर ने दिनांक 30.8.2001 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 10.3.95 को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त के न्यायालय में आवेदक ने जिसे दिनांक 24.1.2005 को निरस्त कर दी। इस कारण से श्रीमान् के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की।

1– यह कि कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 21 /अ –19 (ब) / 2000–01 में पारित आदेश दिनांक 30.8.2001 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 62 / अ–19 / 2001 –02 में पारित आदेश दिनांक 24.1.2005 विधि अनुसार न होने से निरस्त किया जाना आवश्यक है।

2– यह कि कलेक्टर पन्ना द्वारा तहसीलदार अजयगढ़ के द्वारा पारित व्यवस्थापन आदेश एवं दस्तावेजों का गहराई से विवेचन नहीं किया है और मात्र सरसरी तौर पर देखकर ही कलेक्टर पन्ना ने 30.8.2001 को विधि के प्रतिकूल आदेश पारित किया है। जिस पर अपर कमिश्नर ने भी कोई ध्यान नहीं दिया।

3– यह कि अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ द्वारा दिनांक 22.11.95 को दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर महोदय ने प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेकर बहुत सी बातों को अनदेखा कर अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ के प्रतिवेदन को आधार मानकर विधि के विपरीत आदेश पारित किया है जो निरस्त किया जाना आवश्यक है।

4– यह कि तहसीलदार अजयगढ़ द्वारा शासकीय भूमि क्रमांक 312 व 330 के रकबा क्रमशः 0.52 व 1.47 हेक्टेयर का व्यवस्थापन दखल रहित भूमि का किया है। तहसीलदार महोदय ने विधिवत इश्तिहार जारी किया गया है। जब कोई आपत्ति नहीं आयी तो तहसीलदार

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण क्रमांक–निगरानी 1208–तीन/2005 जिला– पन्ना

गौरी बाई विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–01–19	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदिका की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री आशीष सारस्वत उपस्थित। तर्क दि. 15/01/2019 को सुने गये। 2/ आवेदिका के अभिभाषक ने अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क्र0 62/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 24–01–2005 के विरूद्ध भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार अजयगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 17/अ–19/1994–95 में पारित आदेश दिनांक 10–03–95 द्वारा ग्राम किशनपुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 312 रकबा 0.52 हैक्टयर एवं खसरा नंबर 330 रकबा 1.47 हैक्टयर का व्यवस्थापन मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखत रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाने (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत आवेदिका गौरीबाई के नाम किया गया । व्यवस्थापन में अनियमितता पाये जाने के कारण अनुविभागीय अधिकारी अजयगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर पन्ना द्वारा तहसीलदार के प्रकरण को मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (1) के अंतर्गत स्वमेव निगरानी लिया जाकर प्रकरण क्रमांक 21/अ–19/(ब)/2000–01 में दिनांक 30–08–2001 से	

31-01-19

तहसीलदार अजयगढ़ के आलोच्य आदेश को निरस्त किया व भूमि को पूर्व शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया । कलेक्टर पन्ना के आदेश दिनांक 30–08–2001 से परिवेदित होकर निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहॉ अपर आयुक्त सागर ने प्रकरण क्रमांक 62/अ–19/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 24–01–2005 से कलेक्टर पन्ना के आदेश को उचित माना है तथा निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किया है। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर लम्बे समय से कब्जे का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और न ही ग्राम किशनपुर की स्थायी निवासी होने के संबंधित कोई प्रमाण ही दिया है। मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम में दिनांक 02–10–1984 के पूर्व लम्बे समय से कब्जे के आधार पर ही व्यवस्थापन किया जाने का प्रावधान है। क्योंकि आवेदिका अधीनस्थ न्यायालय सहित इस न्यायालय में भी दिनांक 02–10–1984 के पूर्व से कब्जा प्रमाण करने में असफल रही है। इस कारण कलेक्टर पन्ना ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर व्यवस्थापन में अनियमितता पाते हुये भूमि शासकीय दर्ज करने का आदेश दिया है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को

अपर आयुक्त द्वारा भी उचित माना है। कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेशों में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–01–2005 स्थिर रखा जाता है।

6/ पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड हो।

(आर.के. जैन)
सदस्य